सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2021—2022

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2
3.	वर्ष 2021–22 की उपलब्धियां	3
4.	अभाव स्थिति	3
5.	मानसून की स्थिति	4–5
6.	ओलावृष्टि की स्थिति	5
7.	टिड्डी आक्रमण, कोविड–19	5–6
8.	पशु संरक्षण गतिविधियाँ	6
10.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	6
11.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	7
12.	राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	7

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	8
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	9
3.	स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति	10
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	11
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	12
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	13
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि प्राप्तियां एवं व्यय की स्थिति	14
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	15
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	16
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	17
11.	खरीफ फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन (बाढ एवं सूखा वर्ष 2021)	18–19

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत भाग है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2018–19 के समंकों के अनुसार प्रदेश में सकल बोये गये 253.13 लाख हैक्टेयर भूमि में से 110.21 लाख हैक्टेयर ही सकल सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 80.86 लाख हेक्टेयर (97.62 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा परिशिष्ट–1, विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–2 तथा विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति परिशिष्ट–3 पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

<u>वर्ष 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक) की उपलब्धियां</u>

- राज्य कार्यकारी समिति की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.12.2021 को बैठक आयोजित की गई। बैठक में एच.सी.एम. रीपा द्वारा प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये राशि रूपये 113.00 लाख के प्रस्ताव के संबंध में Training Aids, Training, Course Material, Monograph एवं External Faculty के यात्रा व्यय सहित राशि रू. 92.07 लाख की स्वीकृति एच.सी.एम. रीपा को जारी किये जाने एवं नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर के माध्यम से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के 40–40 स्वयं सेवकों के लिए 05 प्रशिक्षण कोर्स (21 कार्य दिवसीय) पर कुल 200 स्वयं सेवकों (05 बैच) के प्रशिक्षण दिये जाने पर अनुमानित व्यय भार राशि रुपये 38,73,600/– का अनुमोदन किया गया।
- विभाग द्वारा समस्त जिला कलक्टर्स को ड्रोन के संचालन हेतु 34 Semi Rugged लैपटॉप मय सॉफ्टवेयर एवं उपकरणों को क्रय करके जिलो को उपलब्ध करवा दिया गया है।
- आपदा घटित होने पर त्वरित कार्यवाही एवं मोनिटरिंग करने हेतु राज्य स्तर पर शासन सचिवालय, जयपुर में राज्य आपदा परिचालन केन्द्र की स्थापना की गई है।

अभाव स्थिति

1. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10963–86 दिनाक 18.08.2021 के द्वारा रबी फसल सम्वत 2077 में ओलावृष्टि के कारण राज्य के 11 जिलों यथा अलवर, बाड़मेर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौडगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, झुझुंनू, कोटा, टोंक एवं सवाईमाधोपुर के 85 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

2. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13902–24 दिनाक 25.10.2021 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2078 में बाढ़ के कारण राज्य के 07 जिलों यथा बारां, बून्दी, कोटा, धौलपुर, झालावाड, सवाईमाधोपुर एवं टोंक के 3704 गांवो को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

3. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14149–73 दिनाक 29.10.2021 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2078 में सूखे के कारण राज्य के 12 जिलों यथा अजमेर, चूरू, बाडमेर, बीकानेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ एवं डूंगरपुर की 69 तहसीलो को अभावग्रस्त घोषित किया गया। विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 14944–68 दिनाक 26.11.2021 के द्वारा 2 जिलो यथा अजमेर एवं हनुमानगढ की 5 तहसीलो को डीनोटीफाई किया गया।

4. विभाग की अधिसूचना क्रमांक 942–67 दिनाक 21.01.2022 के द्वारा खरीफ फसल सम्वत 2078 में ओलावृष्टि के कारण फसल में खराबा होने पर श्रीगंगानगर जिले के 7 गांवो को अभावग्रस्त घोषित किया गया।

खरीफ फसल सम्वत 2078 में सूखे से प्रभावित कृषको को कृषि आदान अनुदान उपलब्ध करवाने तथा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत गतिविधियों के संचालन हेतु एन.डी.आर.एफ.से अतिरिक्त सहायता राशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को 2668.55 करोड़ रूपये का ज्ञापन भिजवाया गया ।

खरीफ फसल सम्वत 2078 में बाढ से प्रभावित कृषको को कृषि आदान अनुदान उपलब्ध करवाने तथा बाढ से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत आदि कार्यो हेतु एन.डी.आर.एफ. से अतिरिक्त सहायता राशि प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को 757.00 करोड़ रूपये का ज्ञापन भिजवाया गया ।

मानसून 2021

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 18.06.2021 को प्रवेश किया। जल संसाधन विभाग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार राज्य में 1 जून 2021 से 30 सितम्बर 2021 तक 577.34 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 10.8 प्रतिशत ज्यादा है। मानसून अवधि के दौरान 1 जून, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	चूरू	1
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	बारां, बीकानेर, बून्दी, जैसलमेर, कोटा, नागौर, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक एवं झालावाड	11
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	अजमेर, अलवर, बांसवाडा, बाडमेर, भरतपुर, भीलवाडा, चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, पाली, राजसमंद एवं उदयपुर	19
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	सिरोही, श्रीगंगानगर	2
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)		0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2021 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11761.07 Mcum की तुलना में 8584.61 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 72.99 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 865.25 Mcum की तुलना में 349.26 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 40.37 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 70.76 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2021 को भरा हुआ था।

ओलावृष्टि

ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, फसल खराबे से प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

राज्य में रबी फसल सम्वत 2077 में ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों यथा अलवर, बीकानेर, भरतपुर, चित्तौडगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, झुझुंनू, कोटा, टोंक एवं सवाईमाधोपुर के प्रभावित पात्र काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

टिड्डी आक्रमण

जिला कलेक्टर जोधपुर, चूरू एवं सवाईमाधोपुर को वित्तीय वर्ष 2021–22 में टिड्डी दलो के आक्रमण की रोकथाम के लिए टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों यथा वाहन, ट्रेक्टर मय स्प्रेयर, वाहन टेंकरों को किरायें पर लेकर संचालन करने तथा पौध संरक्षण रसायनों के क्रय करनें हेतु कुल 87.25 लाख़ रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से जारी कर बजट आवण्टन किया गया ।

कोविड–19

कोविड–19 के बचाव, तैयारियों, रोकथाम एवं क्षमता संवर्धन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों व जिला कलक्टर्स को कोविड–19 नोर्म्स में अनुमत आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के क्रय हेतु राशि 657 करोड़ 90 लाख रूपये का हस्तान्तरण किया गया। कोविड–19 की रोकथाम हेतु पुलिस बल के सहयोग हेतु कन्टेनमेन्ट

जोन में नियोजित गृह रक्षा स्वयं सेवकों के मानदेय भुगतान हेतु गृह विभाग को राशि 72 करोड़ 74 लाख रूपये हस्तान्तरित किए गयें।

कोविड–19 में मृतको के परिजनों को अनुग्रहिक सहायता के भुगतान हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचनानुसार 8915 मृतको के लिए प्रति मृतक राशि 50,000 रूपये की दर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को कुल राशि 44 करोड 57 लाख 50 हजार रूपये हस्तान्तरित किये गयें। इसके अतिरिक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को कोविड–19 में मृतको के परिजनों को अनुग्रहिक सहायता के भुगतान हेतु मांग के अनुसार बजट आवंटन किया जा रहा है।

पशु संरक्षण गतिविधियाँ –

संवत् 2077 में सूखा प्रभावित जिलों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को राहत पहुंचाने हेतु पशु संरक्षण गतिविधियों यथा पशु शिविर एवं चारा डिपों का संचालन किया गया। बाडमेर जिले में 24238 पशुओ के लिये 173 पशु शिविर एवं जैसलमेर जिले में 47800 पशुओ के लिये 346 पशु शिविर खोलने की स्वीकृतियां जारी की गई । बाडमेर जिले में 11 चारा डिपों एवं जैसलमेर जिले में 5 चारा डिपों खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

अतिवृष्टि/बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं में जलने, डूबने तथा मकान ढ़हने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।

2. मानसून वर्ष 2021 में राज्य में बहने/डूबने के कारण 36 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 71 एवं मकान/दीवार गिरने के कारण 17 व्यक्तियों कुल 124 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनको राज्य आपदा मोचन निधि नोर्म्स अनुसार (4.00 लाख रूपये प्रति व्यक्ति) सहायता प्रदान की जा चुकी है।

3. मानसून वर्ष 2021 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग आदि विभागो की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियो की तात्कालिक मरम्मत/पुर्नस्थापना हेतु 4254 कार्यो के लिए 9948.86 लाख रुपये की स्वीकृतियॉ जारी की गई।

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलेक्टर को स्थायी निर्देश है कि अग्नि दुर्घटना में होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीडितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवायी जावे। वर्ष 2019–20 में 5.67 करोड़ रूपयें व 2020–21 में 3.15 करोड रूपये व 2021–22 में 6.19 करोड रूपये (माह दिसम्बर 2021 तक) व्यय किये गयें है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान के रुप मे वर्ष 2011–12 से 2021–22 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
2017-18	912.00	304.00	1216.00
2018-19	957.75	319.25	1277.00
2019-20	1005.00	335.00	1340.00
2020-21	1481.00	494.00	1975.00
2021-22	1185.00	395.00	1580.00
योग	**9275.27**	**3092.07**	**12367.34**

वर्ष 2016–17 से 2021–2022 के अन्तर्गत राज्य आपदा मोचन निधि/ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति परिशिष्ट –7 पर एवं वर्ष 2018–19 से 2021–22 (31 दिसम्बर 2021 तक) में इस कोष के अन्तर्गत अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट– 8 व परिशिष्ट –9 पर उपलब्ध है।

Administrative Setup

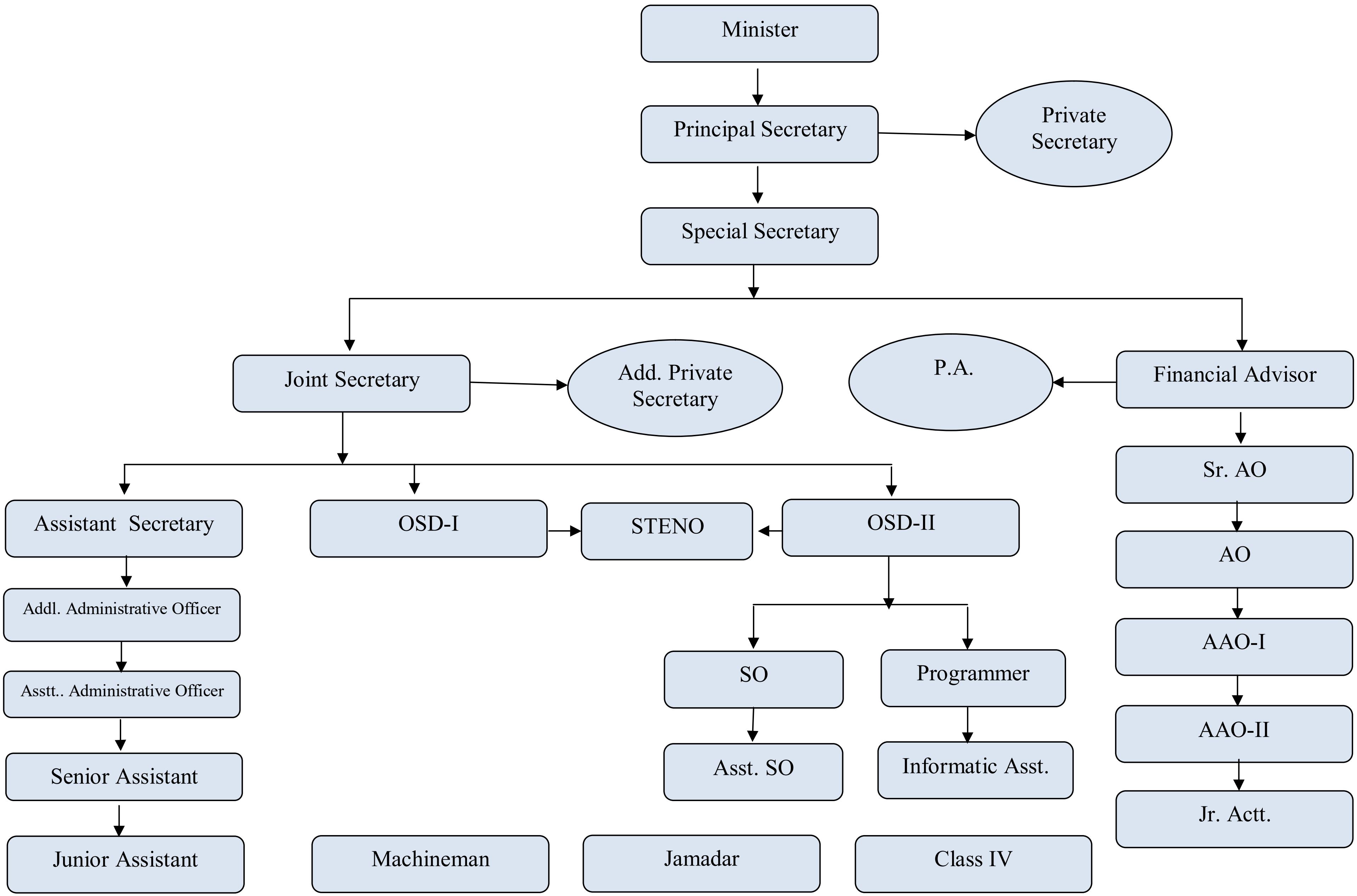

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क.सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1	प्रमुख शासन सचिव	श्री आनन्द कुमार	02.11.2020
2	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	06.07.2020
3	संयुक्त शासन सचिव	रिक्त	01.01.2022
4	वित्तीय सलाहकार	श्री एन एल. शर्मा	25.09.2019
5	शासन सहायक सचिव एवं सहायक आयुक्त	डॉ. प्रभा व्यास	01.03.2021
6	विशेषाधिकारी (2)	श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
		श्री देशराज मीणा	28.04.2015
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	श्री लक्ष्मण प्रसाद कोली	21.08.2020
8	लेखाधिकारी	श्रीमती प्रतिभा निमेश	10.03.2019
9	सांख्यिकी अधिकारी	श्री नीरज कुमार साहू	18.12.2020
10	अतिरिक्त निजी सचिव	श्री दिनेश कुमार सारोलिया	16.09.2016
11	सहायक लेखाधिकारी, प्रथम (2)	श्री शंकर लाल मीणा	15.12.2016
		श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
12	प्रोग्रामर	श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय	03.08.2018
13	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	श्रीमती सुमन पाठक	18.08.2021
14	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	श्री घनश्याम मीना	18.08.2021

परिशिष्ट–3

स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति

क्र. सं.	पद नाम	स्वीकृत पदो की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रमुख शासन सचिव	1	–
2	विशिष्ट शासन सचिव	1	1
3	संयुक्त शासन सचिव	1	1
4	वित्तीय सलाहकार	1	–
5	सहायक आयुक्त एवं पदेन शासन सहायक सचिव	1	–
6	विशेषाधिकारी	2	–
7	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	–
8	निजि सचिव	1	–
9	लेखाधिकारी	1	–
10	सांख्यिकी अधिकारी	1	–
11	अति.निजी सचिव	1	–
12	निजी सहायक	1	–
13	प्रोग्रामर	1	–
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–1	2	–
15	अति.प्रशासनिक अधिकारी	3	1
16	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	32	9
17	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1
18	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	1
19	कनिष्ठ लेखाकार	4	1
20	शीघ्र लिपिक	2	2
21	वरिष्ठ सहायक	19	2
22	सूचना सहायक	2	–
23	कनिष्ट सहायक	28	3
24	मशीनमैन	1	–
25	जमादार	3	1
26	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	2

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)
राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित नौ सदस्यों से मिलकर गठित होगाः–

1.	मुख्यमंत्री, राजस्थान
2.	प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
3.	प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
4.	प्रभारी मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
5.	प्रभारी मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
6.	प्रभारी मंत्री, स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
7.	प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार
8.	प्रभारी मंत्री, कृषि और पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार
9.	प्रभारी मंत्री, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राजस्थान सरकार

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. मुख्यमंत्री राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा।
4. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का पदेन अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
5. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

परिशिष्ट–5

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

प्रत्येक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा

1.	कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
7.	अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पदेन (सहायता अनुभाग का भारसाधक)	

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः–

1. जिले से निर्वाचित सांसद (लोकसभा) सदस्य।
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक है।

परिशिष्ट–7

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	SDRF/NDRF 2016-17	SDRF/NDRF 2017-18	SDRF/NDRF 2018-19	SDRF/NDRF 2019-20	SDRF/NDRF 2020-21	SDRF/NDRF 2021-22 (Upto 31-12-2021)
1	2	3	4	5	6	7
Opening Balance	209.40	326.05	83.27	670.76	2096.22	2979.44
Central Share in SDRF	868.50	912.00	861.98	1100.77	1481.00	1184.80
State Share in SDRF	289.50	304.00	319.25	335.00	494.00	395.20
Received from Interest	22.17	50.08	58.69	42.12	143.67	-
Received from GOI	990.82	301.65	832.26	1164.99	853.25	-
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	-	31.50	-	-	-
Total Funds Available (A)	**2380.39**	**1893.78**	**2186.95**	**3313.64**	**5068.14**	**4559.44**
Expenditure (B)	**2054.34**	**1810.51**	**1516.19**	**1217.42**	**2109.81**	**1419.42***
Adjustment of Disbursement Amount					**21.11**	
Total Funds available Under SDRF& NDRF (Closing Balance)	**326.05**	**83.27**	**670.76**	**2096.22**	**2979.44**	**3140.02**

* Amount of Allotment

परिशिष्ट–8

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2018–2019	वर्ष 2019–2020	वर्ष 2020–2021	वर्ष 2021–2022 (दिनांक 31-12-2021 तक आवंटित राशि)
1	2	4	5	5	6
1	अनुग्रह सहायता	-	-		-
2	पीने के पानी की आपूर्ति	726.32	742.47	937.08	385.93
3	चारा परिवहन	-	468.61	482.01	-
4	पशु पोषण केन्द्र	-	45.11	-	-
5	पशु शिविर / गौशाला	2439.37	3545.75	719.21	1502.65
6	आपदा प्रबन्धन योजना निर्माण	-	-		329.82
7	दवाओं की पूर्ति	-	-		-
8	अन्य विशेष राहत कार्य	-	-		-
9	अग्नि सहायता	369.25	567.00	314.53	1373.30
10	सर्च एवं रेस्क्यू व सयंत्र	37.74	1452.05	16575.87	3867.38
11	कीट पतंगा	-	-	15.29	-
11	कृषि आदान अनुदान	150885.87	30794.68	18652.38	21832.00
12	आपात परिचालन केन्द्र एवं आपदा प्रबन्धन योजना	-	-	72.21	106.20
13	प्रशिक्षण	-	24.69	157.31	291.95
14	अन्य सहायता	18.24	963.70	279.49	-
	योग	**154476.79**	**38604.06**	**38205.38**	**29689.23**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष			
		2018–19	2019–20	2020.21	2021–22 (दिनांक 31-12-2021 तक आवण्टित राशि)
1	2	4	5	5	6
1.	आनुग्रहिक राहत कपड़ा बर्तन	6.64	177.50	1.92	320.14
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	-		-
3.	पशु चिकित्सा	-	-		-
4.	सड़कों की मरम्मत	-	3310.98	11416.20	9400.19
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-		-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	488.01	319.69	341.95	-
7.	प्रशिक्षण	-	-		-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	12.80	369.16
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	-	-		-
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	279.00	550.77	160	608.00
11.	घरों की मरम्मत	124.54	3397.53	245.02	5642.89
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	2212.01	3045.85	14719.82	4788.33
13	बाढ से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	(-)7272.24	53261.41	29481.58	11865.21
14	डिसिल्टिंग	-			-
15.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	26.56	(-) 3.19	22.62	765.35
16.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	1179.32	129.49	739.19	542.48
17.	अन्य सहायता (हेलिकाप्टर)	98.25			-
18.	अन्य सहायता अंगभंग गम्भीर चोट एवं आवश्यक वस्तुए	-		5.54	201.00
19	शीतलहर से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	-	350.64	728.69	-
20	कीट पंतगा आक्रमण से प्रभावितो को कृषि आदान अनुदान	-	12146.85	2259.75	229.43
21	महामारी (कोविड–19)	-	6510.67	112640.65	77520.81
	योग	**(-)2857.91**	**83138.19**	**172775.73**	**112252.99**
					-

परिशिष्ट–10

List of Nodal Departments

S.No.	**Name of Nodal Department**	**Related Disaster**
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightning, Cyclones
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack
13.	Animal Husbandry	Epidemic in Animal Population

परिशिष्ट–11(अ)

फसल खरीफ सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) में बाढ से फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	फसल खराबे से प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	बारां	1253	1236	12.23	373035	333429	188596	0	1236	0	0	188760	3197040	2807124	7.69
2	बूंदी	895	469	11.11	327644	249398	105900	96	241	132	70	105701	-	-	4.77
3	धौलपुर	858	72	12.07	180560	9827.11	4192.94	0	0	72	0	1091.17	-	-	0.44
4	झालावाड	1640	1177	14.11	382594	349398	219165	836	341	0	0	89473.7	-	-	6.19
5	कोटा	959	485	19.51	300326	251294	94740	112	198	175	114	12314.2	645190	645190	2.81
6	सवाई माधोपुर	835	41	13.36	18131	12024	6482	0	27	14	14	2343.75	-	-	0.09
7	टोंक	1222	224	14.21	68950	60290	59976	0	13	211	0	1471	-	-	1.48
योग		**7662**	**3704**	**96.6**	**1651240**	**1265660**	**679052**	**1044**	**2056**	**604**	**198**	**401155**	**3842230**	**3452314**	**23.47**

परिशिष्ट– 11(ब)

फसल खरीफ सम्वत् 2078 (वर्ष 2021) में सूखे से फसल खराबे के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या (33 से 100 प्रतिशत खराबे वाले)	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खराब हुई फसल (33 से 100 प्रतिशत) का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	फसल खराबे से प्रभावित ग्रामों की संख्या				खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत से कम				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	डूंगरपुर	1020	344	4.51	190238	128197	20939	94	250	0	672	2500	52578	52578	3.54
2	बाडमेर	2956	2759	21.53	2351420	1541027	1120323	107	1131	1521	197	157046	300180	299881	44.86
3	बीकानेर	958	162	3.22	2592217	1360990	196428	106	53	3	167	23913	-	-	8.79
4	जालौर	821	751	16.25	859433	618703	505396	47	133	571	62	175189	-	-	7.25
5	जैसलमेर	859	628	4.81	3601945	719457	491459	35	179	414	231	59308	-	-	7.23
6	पाली	1069	516	10.86	843868	545393	284668	0	93	423	267	146114	1196643	1196643	3.81
7	सिरोही	519	160	3.06	229812	157787	63171	3	13	144	359	4548	-	-	2.40
8	जोधपुर	1904	770	8.91	1923130	1292756	400701	126	316	328	727	71195	-	-	6.61
9	नागौर	1662	11	0.50	1545502	1256214	12359	8	3	0	0	494	30582	30582	0.75
10	चूरू	917	21	0.63	1267438	1088584	25970	19	2	0	242	4337	-	-	0.73
योग		**12685**	**6122**	**74.28**	**15405003**	**8709108**	**3121414**	**545**	**2173**	**3404**	**2924**	**644644**	**1579983**	**1579684**	**85.97**